प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स ...170/2023 दिनांक .....3/7/2023.....
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं – 7 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या .....574... समय .....6:00 P.M.....
   (2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 17.04.2023 समय करीबन 1.00 पी.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 17.04.2023 समय 11.45 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 415 किलोमीटर
   (2) पता– कार्यालय सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) जिला उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   <u>परिवादी</u>

   (1) नाम : श्री श्यामलाल शर्मा
   (2) पिता का नाम : श्री छगनलाल शर्मा
   (3) आयु : 56 साल
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
   (6) व्यवसाय : नौकरी
   (7) पता : सिंधियो का बडगांव तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री रवि माथुर स्व.श्री भगवान नाथ माथुर जन्म तिथि 12–3–1983 निवासी 23/103, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर क्षैत्रिय वन अधिकारी द्वितीय हाल रेंज गोगुन्दा वन मण्डल उदयपुर (उत्तर)
   2. श्री नरपत सिंह पिता स्व. श्री मोहनसिंह राठौड जन्म तिथि 08–09–1982 निवासी मोयावासा पोस्ट भीमपुर पुलिस थाना लोहारिया जिला बांसवाडा क्षैत्रिय वन अधिकारी (प्रथम), उदयपुर अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

   कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति

   1. आरोपीगण श्री नरपतसिंह एवं श्री रवि माथूर क्षेत्रिय वन अधिकारी गोगुन्दा के द्वारा परिवादी श्री श्यामलाल वनपाल को निलम्बन से बहाल कराने एवं पूर्व में परिवादी के द्वारा वन नाका मजावद में कराये गये विभिन्न योजनाओं के कार्यो के बिल भुगतान पेटे 20 परसेंट कमीशन के रूप में कुल 10,20,000 रूपये रिश्वती राशी की मांग करना तथा आरोपी श्री रवि माथूर के द्वारा परिवादी से पूर्व में 3,50,000 रूपये रिश्वत स्वरूप ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति करना। शेष रिश्वती राशि 6,70,000 रूपये की और मांग करना।
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 10,20,000 /– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महो.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उदयपुर (राज)

विषय– भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में श्रीमान् से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी श्यामलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री छगनलाल शर्मा निवासी सिंधियों का बडगांव तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर का रहने वाला होकर हाल वनपाल, वन नाका मजावद, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 10–3–2023 को नाईयो का गुडा स्थित पौधशाला पर मेरे साथ सहायक वनपाल श्री रमेश गोस्वामी व अन्य बदमाशों ने मेरे साथ मारापीटी की गई थी। जिसकी कानूनी कार्यवाही वास्ते पुलिस थाना गोगुन्दा व पुलिस अधीक्षक उदयपुर को प्रार्थना पत्र दिया। इसी मारापीटी की घटना को लेकर दिनांक 13–3–2023 को निलंबित कर सहायक वन संरक्षक कोटडा मुख्यालय किया गया है। मैं मेरे निलंबन से बहाली हेतु मैंने मेरे क्षेत्रीय वन अधिकारी गोगुन्दा रवि माथुर व सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) श्री नरपत सिंह राठौड से निवेदन किया तो दोनो अधिकारियों ने मुझसे नाका मजावद में किये गये विभिन्न योजनाओं के कार्यों के बिल भुगतान जो कि हो चुका है उनके कमीशन की मांग की तथा उसके बाद बहाली हेतु उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर को सिफारिश कर मुख्यालय बदलवाने का कह रहे है। यह दोनो अधिकारी मुझे निलंबन से बहाल करने एवं पुराने बिलों के भुगतान कमीशन करीब 4–5 लाख रूपये की मांग कर रहे है जिनको मैं रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। इनसे मेरा कोई व्यक्तिगत लेनदेन नहीं है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावें।

दिनांक 17–4–2023

भवदीय

एसडी
(श्यामलाल शर्मा पुत्र श्री छगनलाल शर्मा)
निवासी वल्लभनगर उदयपुर
मो.न. 9799478587

महोदय,

वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 17–4–2023 को परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा पुत्र श्री छगनलाल शर्मा निवासी सिंधियों का बडगांव तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर के समक्ष आशय की प्रस्तुत की कि ''मुझ प्रार्थी श्यामलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री छगनलाल शर्मा निवासी सिंधियों का बडगांव तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर का रहने वाला होकर हाल वनपाल, वन नाका मजावद, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 10–3–2023 को नाईयो का गुडा स्थित पौधशाला पर मेरे साथ सहायक वनपाल श्री रमेश गोस्वामी व अन्य

बदमाशों ने मेरे साथ मारापीटी की गई थी। जिसकी कानूनी कार्यवाही वास्ते पुलिस थाना गोगुन्दा व पुलिस अधीक्षक उदयपुर को प्रार्थना पत्र दिया। इसी मारापीटी की घटना को लेकर दिनांक 13–3–2023 को निलंबित कर सहायक वन संरक्षक कोटडा मुख्यालय किया गया है। मैं मेरे निलंबन से बहाली हेतु मैंने मेरे क्षेत्रीय वन अधिकारी गोगुन्दा रवि माथुर व सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) श्री नरपत सिंह राठौड से निवेदन किया तो दोनो अधिकारियों ने मुझसे नाका मजावद में किये गये विभिन्न योजनाओं के कार्यों के बिल भुगतान जो कि हो चुका है उनके कमीशन की मांग की तथा उसके बाद बहाली हेतु उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर को सिफारिश कर मुख्यालय बदलवाने का कह रहे है। यह दोनो अधिकारी मुझे निलंबन से बहाल करने एवं पुराने बिलों के भुगतान कमीशन करीब 4–5 लाख रूपये की मांग कर रहे है जिनको मैं रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। इनसे मेरा कोई व्यक्तिगत लेनदेन नहीं है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावें।''

परिवादी की लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाये जाने से श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा श्री हरिश्चंद्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। प्राप्त निर्देशों की पालना में पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी से प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में लिखी जाकर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत राशि लेनदेन का पाया जाने से परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे में समझाया गया। पुलिस निरीक्षक के द्वारा कार्यालय की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर उसके संचालन की विधि से परिवादी को भलीभांति अवगत कराया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड प्रयुक्त किया गया। तत्पश्चात परिवादी का श्री टीकाराम कानि से आपस में परिचय कराया गया। श्री टीकाराम कानि को परिवादी के साथ जाकर कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) में संदिग्ध अधिकारियों से रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर समय 12.30 पी.एम. पर श्री टीकाराम कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा को मोटरसाइकिल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) से कुछ दूरी पहले पहुंच श्री टीकाराम कानि ने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपूर्द किया। जिसे परिवादी ने अपने पास सुरक्षित रखकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय में गया। श्री टीकाराम कानि कार्यालय के आसपास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के आने के इंतजार में रहा। परिवादी कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) में गया तो श्री सुपोंग शशी उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) मिले। जिनको परिवादी ने अपने निलंबन से बहाली करने एवं मुख्यालय उदयपुर किये जाने के संबंध में निवेदन कर बाहर आया ही था कि उसके मोबाइल नम्बर 9799478587 पर श्री रवि माथुर क्षेत्रीय वन अधिकारी के मोबाइल नम्बर 9314023159 से फोन कर परिवादी को सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) श्री नरपत सिंह राठौड के कार्यालय कक्ष में बुलाया। जिस पर परिवादी सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) के कार्यालय कक्ष में गया तो वहां श्री रवि माथुर क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं श्री नरपत सिंह राठौड क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम उदयपुर (पूर्व) अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक उपस्थित मिले। जिन्होंने परिवादी से उसके निलंबन से बहाल कराने हेतु सिफारिश करने एवं उसके द्वारा कराये गये पौधारोपण एवं अन्य कार्यों के पुराने बिलों का भुगतान किया जा चुका है, जिसके कमीशन के संबंध में वार्ता करते हुए रिश्वत राशि की मांग की। वार्ता के दौरान ही श्री रवि माथुर ने कमीशन हेतु संपूर्ण बिलों का स्टेटमेंट देखने हेतु परिवादी को दिनांक 18–4–2023 को गोगुन्दा स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय बुलाया और वार्ता के दौरान ही श्री नरपतसिंह राठौड ने परिवादी से कहा कि तुम हरिसिंह को गोगुन्दा रेंज बुलाकर उसके द्वारा मेरे (नरपतसिंह) खिलाफ पूर्व में की गयी शिकायत का निपटारा कराओ। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की। तत्पश्चात परिवादी और श्री टीकाराम कानि दोनो वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पहुंच पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी के समक्ष ही डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित हालत में रखा गया। आरोपी श्री रवि माथुर, क्षेत्रीय वन अधिकारी ने परिवादी को दिनांक 18–4–2023 को गोगुन्दा स्थित कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी में बुलाया जाने से

पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर दिनांक 18–4–2023 प्रातः 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत किया।

दिनांक 18–4–2023 को समय 10.25 एएम. पर पाबंदशुदा परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा उपस्थित कार्यालय हुआ। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री टीकाराम कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मोटरसाइकिल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मुनासिब हिदायत दी जाकर कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोगुन्दा जिला उदयपुर की ओर रवाना किया जो ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोगुन्दा से कुछ दूरी पहले पहुंच ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपूर्द किया। जिसे परिवादी ने अपने पास सुरक्षित रखकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय में गया। श्री टीकाराम कानि कार्यालय के आसपास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के आने के इंतजार में रहा। परिवादी कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोगुन्दा में गया तो श्री रवि माथुर उपस्थित मिला। जहां पर रवि माथुर ने अपने लेपटॉप में से परिवादी के द्वारा कराये गये संपूर्ण कार्यों का ब्यौरा बोल–बोलकर परिवादी को एक सादे कागज पर लिखवाया गया। श्री रवि माथुर ने उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त नाकों से उनके द्वारा किये जाने वाले वन विकास कार्यों के बदले में श्री रवि माथुर ने रिश्वत स्वरूप 22 परसेंट कमीशन के हिसाब से ही लेना बताया। जिस पर परिवादी के द्वारा निलंबन अवधि में होने से कमीशन के तौर पर इतनी रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं कर पाने से श्री रवि माथुर को निवेदन किया तो रवि माथुर ने परिवादी के द्वारा कराये गये वन विकास कार्यों के कुल राशि का 20 परसेंट कमीशन के तौर पर रिश्वत राशि लेने की मांग की और कहा कि मैं व एसीएफ साहब मिलकर डीएफओ साहब को कहकर तुम्हें निलंबन से बहाल करवा देंगे। उक्त सादे कागज जिस पर कमीशन का हिसाब लिखा गया। बाद मांग सत्यापन वार्ता के उक्त कागज को परिवादी अपने साथ लेकर परिवादी से रवाना हो श्री टीकाराम कानि से मिलकर दोनो वहां से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हुए। उक्त कागज जिस पर श्री रवि माथुर के द्वारा कमीशन (रिश्वत राशि) का हिसाब लिखा हुआ था, उक्त कागज एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड थी। पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किये और मांग सत्यापन वार्ता के हालात से अवगत कराया। आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि की मांग की जाकर उक्त दिनांक को ही रिश्वती राशि लेकर परिवादी को बुलाये जाने से परिवादी को आरोपीगणों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर लाने हेतु मुनासिब हिदायत के रूखसत किया गया। पुलिस निरीक्षक के द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी एवं कानि के कथनों की ताईद हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित हालत में रखवाया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से पुलिस निरीक्षक ने संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक को रवाना किया था। कुछ समय पश्चात श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक के साथ श्री महिपाल सिंह चंद्रावत व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं श्री सुरेश पंचाल, उप प्राचार्य, रा. उ.मा.वि. झाडोल (फ.) जिला उदयपुर उपस्थित कार्यालय हुए। जिनसे आपस में परिचय किया जाकर कार्यालय कक्ष में बैठाया गया ब्यूरो इकाई एसयू उदयपुर से इमदाद हेतु श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरो जाप्ता श्री लालसिंह हैड कानि, श्री नंदकिशोर कानि, श्री प्रदीप कानि, श्री दिनेश कुमार कानि., श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय हुए। तत्पश्चात परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा ने उपस्थित कार्यालय होकर पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3,50,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पायी है, जो मैं साथ लेकर आया हूँ। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महिपाल सिंह चंद्रावत, व्याख्याता एवं श्री सुरेश पंचाल, उप प्राचार्य से ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाहान उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनो गवाहान द्वारा अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त करने पर परिवादी और स्वतंत्र गवाहान श्री महिपाल सिंह चंद्रावत, व्याख्याता एवं श्री सुरेश पंचाल, उप प्राचार्य से आपस में परिचय कराया गया एवं परिवादी के द्वारा प्रस्तुतशुदा हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 17–4–2023 को परिवादी दोनो गवाहान के समक्ष ही पढकर सुनाई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखी होना एवं स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत

मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18–4–2023 जो आरोपी श्री रवि माथुर क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं परिवादी के मध्य हुई, उक्त वार्ता को परिवादी के समक्ष ही चलाकर वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये तो दोनो गवाहान ने भी आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने की पुष्टि की। समय 6.30 पीएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपीगणों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने आरोपी श्री रवि माथुर क्षेत्रीय वन अधिकारी को रिश्वत स्वरूप देने के लिये अपने साथ लाये काले रंग के बेग की जेब में से निकालकर 500–500 रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000 रूपये दो लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं आरोपी श्री नरपतसिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी ने अपने पास रखे काले बेग की एक अन्य जेब में से 500–500 रूपये के 300 नोट कुल 1,50,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो की नंबरी ब्यूरो के स्टाफ से करायी जाकर श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ब्यूरो के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर दो अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त नोटों पर अलग–अलग दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा के पास मौजूद काले रंग के बेग की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेश पंचाल से लिवाई गयी तो बैग खाली होकर उसमें कोई वस्तु इत्यादि नहीं मिली। आरोपी श्री रवि माथुर को देने हेतु परिवादी द्वारा पेश किये गये नोट कुल 2,00,000 रूपये को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ही परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा के पास मौजूद बैग की बडी वाली जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये एवं आरोपी श्री नरपतसिंह के लिए परिवादी द्वारा पेश किये गये नोट कुल 1,50,000 रूपये को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ही परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा के पास मौजूद बैग की छोटी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराया उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट पृथक से मूर्तिब की गयी। तत्पश्चात समय 7.05 पीएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपीगण की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करा परिवादी के मोबाइल फोन से आरोपी श्री रवि माथुर के मोबाइल नम्बर 9314023159 पर कॉल किया तो आरोपी श्री रवि माथुर ने बताया कि अभी गोगुन्दा से घर पहुंचना बताया और थोडी देर में कॉल करना बताया। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिस पर पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी आरोपी के मोबाईल फोन के इन्तजार में थे कि समय 7.32 पीएम पर आरोपी श्री रवि माथुर ने अपने मोबाइल नम्बर 9314023159 से परिवादी के मोबाइल पर कॉल किया तो ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन किया गया। उक्त वार्ता में आरोपी श्री रवि माथुर ने परिवादी को नेट ऑन करने का कहा। जिस पर आरोपी के कहे अनुसार परिवादी ने अपने मोबाइल फोन का नेट ऑन किया। जिसके पश्चात श्री रवि माथुर ने अपने मोबाइल नम्बर 9314023159 से परिवादी के मोबाइल फोन पर व्हॉट्सअप कॉल किया तो आरोपी श्री रवि माथुर ने परिवादी को डिविजन ऑफिस (कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर, उत्तर) में बुलाया। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। आरोपीगण ने परिवादी को रिश्वती राशि लेकर डिविजन ऑफिस बुलाया जाने से परिवादी को आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वती राशि जो कि एक काले बेग में रखी हुई है, उसके साथ परिवादी मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के श्री करणसिंह हैड कानि के साथ उसकी मोटरसाइकिल से कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर की ओर मुनासिब हिदायत के समय 7.40 पीएम पर रवाना करते हुए पीछे पीछे पुलिस निरीक्षक हरिश्चंद्र सिंह, श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स इत्यादि के निजी वाहन/ मोटरसाइकिल के कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर की ओर रवाना हो समय करीबन 7.50 पीएम पर परिवादी, पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता के समोरबाग मैन रोड पर पहुंच अपने–अपने वाहनों को साईड में खडा करा पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन करने की मुनासिब हिदायत देकर मय रिश्वत राशि के कार्यालय की ओर रवाना किया गया। पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता कार्यालय के आस पास अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे कि समय 8.30 पीएम पर परिवादी बिना कोई ईशारा किये पुलिस निरीक्षक के पास आकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर बंद हालत में देते हुए

बताया कि श्री रवि माथुर एवं श्री नरपत सिंह का काफी देर से इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आये जिस पर परिवादी के द्वारा श्री रवि माथुर को व्हाट्सअप कॉल किया तो उन्होंने कोई ट्रेजडी होना बताते हुए बाद में मिलने के लिए कहा। परिवादी के उक्त तथ्य से आरोपीगणों के द्वारा उक्त दिनांक को परिवादी से रिश्वत राशि ली जाने की संभावना नहीं होने से स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह से परिवादी के पास मौजूद काले बेग में से आरोपी श्री रवि माथुर को दी जाने वाली राशि 2,00,000 रूपये निकलवाये जाकर एक लिफाफे में रखवाये गये एवं आरोपी श्री नरपत सिंह को दी जाने वाली राशि 1,50,000 रूपये निकलवाये जाकर एक अन्य लिफाफे में रखवाये जाकर उक्त दोनो लिफाफों को ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह के दोनो हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो समय करीब 9.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह, श्री सुरेश पंचाल को दिनांक 19–4–2023 को प्रातः 9.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। ब्यूरो इकाई एसयू उदयपुर से इमदाद हेतु उपस्थित आये श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक एवं जाप्ता श्री लालसिंह हैड कानि, कानिगण श्री नंदकिशोर कानि, श्री प्रदीप भण्डारी, श्री दिनेश कुमार को ब्यूरो इकाई एसयू उदयपुर के लिए समय करीब 9.35 पीएम पर रूखसत किया गया।

दिनांक 19–4–2023 समय 9.30 एएम पर पूर्व में पाबंदशुदा परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा एवं स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह, श्री सुरेश पंचाल उपस्थित कार्यालय हुए। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 18–4–2023 को समय 7.05 पीएम एवं 7.32 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री रवि माथुर के मध्य मोबाइल एवं वाट्सअप कालें पर हुई वार्तायें जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो, परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ताओं की पृथक–पृथक मूल एवं डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडीयों को लेपटॉप से चलाकर वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्टें तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात मूल, डब सीडीयों एवं फर्द ट्रांसक्रिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडीयों को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। मूल एवं डब सीडीयों को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 11.00 एएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन हेतु परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करा परिवादी के मोबाइल फोन से आरोपी श्री नरपतसिंह के मोबाइल नम्बर 9829964619 पर कॉल कर वार्ता करायी तो वार्ता में आरोपी श्री नरपतसिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे मुख्यालय चेंज कराने के संबंध में साहब से बात कर लूंगा। इसी प्रकार पुलिस निरीक्षक द्वारा समय 11.10 एएम पर रिश्वत राशि लेनदेन हेतु परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करा परिवादी के मोबाइल फोन से आरोपी श्री रवि माथुर के मोबाइल नम्बर 9314023159 पर व्हाट्सअप कॉल कर वार्ता करायी तो वार्ता में आरोपी श्री रवि माथुर ने कहा कि मेरे साथ वाले किसी की तबियत खराब हो गयी थी और वापस कॉल करता हूँ। उक्त वार्ताओं को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया।

तत्पश्चात परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य आमने–सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17–4–2023 जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो, परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। मूल एवं डब सीडी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 3.00 पीएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 18–4–2023 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। मूल एवं डब सीडी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया इसी प्रकार समय करीबन 6.30 पीएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 19–4–2023 को समय 11.00 एएम पर.

परिवादी एवं आरोपी श्री नरपतसिंह के मध्य मोबाइल पर हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। मूल एवं डब सीडी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 6.50 पीएम पर दिनांक 19–4–2023 को समय 11.10 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री रवि माथुर के मध्य हुई व्हाट्सअप कॉल वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। मूल एवं डब सीडी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 7.15 पीएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह, श्री सुरेश पंचाल एवं परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा को दिनांक 20–4–2023 को प्रातः 9.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 20–4–2023 समय 10.00 एएम पर पाबंदशुदा परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा एवं स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह, श्री सुरेश पंचाल उपस्थित कार्यालय हुए। जिन्हें कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। परिवादी ने बताया कि ''आज सुबह करीब सवा नौ बजे मेरे मोबाइल पर श्री नरपतसिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम के मोबाइल नम्बर से कॉल आया था और बताया कि आज मेरी वी.सी. है वी.सी. के उपरांत दोपहर बाद ऑफिस में आकर मिलने का कहा है।'' जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा समय 3.15 पीएम पर परिवादी को कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर पर बुलाया गया। इस पर कार्यालय में मालखाने में रखे ट्रेप बॉक्स को निकलवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में पूर्व में दिनांक 18–4–2023 को स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह से परिवादी के पास मौजूद काले बेग में से आरोपी श्री रवि माथुर को दी जाने वाली राशि 2,00,000 रूपये निकलवाये जाकर एक लिफाफे में रखवाये गये एवं आरोपी श्री नरपत सिंह को दी जाने वाली राशि 1,50,000 रूपये निकलवाये जाकर एक अन्य लिफाफे में रखवाये जाकर उक्त दोनो लिफाफों को ट्रेप बॉक्स में रखवाये थे। उक्त दोनो लिफाफो में रखी रिश्वती राशि को बारी–बारी से निकलवायी जाकर उक्त नोटों के नंबरों का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटों के नंबरों से कराया गया तो मिलान हूबहू होना बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा के पास मौजूद काले रंग के बेग की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री महिपाल सिंह से लिवाई गयी तो बैग खाली होकर उसमें कोई वस्तु इत्यादि नहीं मिली। आरोपी श्री रवि माथुर को देने हेतु परिवादी द्वारा पेश किये गये नोट कुल 2,00,000 रूपये को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ही परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा के पास मौजूद बैग की बडी वाली जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। आरोपी श्री नरपतसिंह के लिए परिवादी द्वारा पेश किये गये नोट कुल 1,50,000 रूपये को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ही परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा के पास मौजूद बैग की छोटी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। ब्यूरो जाप्ते एवं स्वतंत्र गवाहान, परिवादी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक इमदाद हेतु कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू उदयपुर से उपस्थित कार्यालय हुए। जिन्हें पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही से अवगत कराया गया एवं परिवादी को आरोपीगण द्वारा दोपहर बाद ऑफिस में आकर मिलने हेतु बुलाया। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा समय करीबन 3.40 पीएम पर रिश्वती राशि लेनदेन हेतु परिवादी को मय रिश्वती राशि एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर के उसकी मोटरसाइकिल से मुनासिब हिदायत के कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर की ओर रवाना करते हुए उसके पीछे पीछे पुलिस निरीक्षक हरिश्चंद्र सिंह, श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, श्री करणसिंह हैड कानि, श्री टीकाराम कानि, श्री सुरेश कानि, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स इत्यादि के निजी वाहन/ मोटरसाइकिल के कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर की ओर रवाना होकर उप वन संरक्षक

उदयपुर उत्तर की कार्यालय पहुंचे कार्यालय के आस पास अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाये हुए रिश्वती राशि दे चुकने के निर्धारित ईशारे में थे कि समय 7.00 पीएम पर परिवादी बिना कोई ईशारा किये पुलिस निरीक्षक के पास आकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर बंद हालत में देते हुए बताया कि ''मैंने उनका काफी देर इंतजार किया तो श्री रवि माथुर एवं श्री नरपत सिंह आये और लेकिन उन्होंने मेरे से रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण नहीं की। जिस कारण मैंने आपको कोई ईशारा नहीं किया। वो दोनो काफी सतर्कता बरत रहे है।'' आरोपीगणों के द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही थी। आरोपीगणों के द्वारा उक्त दिनांक को परिवादी से रिश्वत राशि ली जाने की संभावना नहीं होने से स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह से परिवादी के पास मौजूद काले बेग में से आरोपी श्री रवि माथुर को दी जाने वाली राशि 2,00,000 रूपये निकलवाये जाकर एक लिफाफे में रखवाये गये एवं आरोपी श्री नरपत सिंह को दी जाने वाली राशि 1,50,000 रूपये निकलवाये जाकर एक अन्य लिफाफे में रखवाये जाकर उक्त दोनो लिफाफों को ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये एवं समय करीबन 7.10 पीएम पर ब्यूरो इकाई के लिये रवाना हुए समय 7.30 पीएम पर पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाप्ता मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के अपने–अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए। जहां पर पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप बॉक्स को ब्यूरो के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया।

पुलिस निरीक्षक ने समय 7.50 पीएम पर परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा एवं आरोपीगण श्री रवि माथुर, श्री नरपतसिंह राठौड के मध्य अब तक हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल/व्हाट्सअप कॉल वार्तायें जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी, उक्त वार्तायें डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में सेव है, उक्त मेमोरी कार्ड बरंग काला हो किंगस्टन कंपनी का 32 जी.बी. है, उक्त मूल मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट किया गया। जिसकी पृथक से फर्द मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर परिवादी को हिदायत दी गयी कि जब भी आरोपीगण रिश्वत लेनदेन हेतु संपर्क करे तो तुरन्त इसकी सूचना ब्यूरो को देवे। बाद हिदायत परिवादी को रूखसत किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह, श्री सुरेश पंचाल को भी हिदायत दी गयी कि जब भी ब्यूरो द्वारा तलब किया जावे तो अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होवें। बाद गोपनीयता बरतने की हिदायत के दोनो स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह, श्री सुरेश पंचाल रूखसत किया गया एवं समय करीबन 8.30 पीएम पर इमदाद हेतु ब्यूरो इकाई एसयू उदयपुर से उपस्थित आये श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक एवं श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो इकाई एसयू उदयपुर के लिए रवाना किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 23–5–2023 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा ने ब्यूरो इकाई उदयपुर पर उपस्थित होकर पुलिस निरीक्षक को बताया था कि मैंने कई बार श्री रवि माथूर क्षेत्रिय वन अधिकारी गोगुन्दा एवं श्री नरपतसिंह श्रेत्रिय वन अधिकारी प्रथम उदयपुर पूर्व अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) से सम्पर्क करना चाहा लेकिन उक्त दोनो द्वारा मुझसे मिलने के लिये और किसी भी प्रकार से कोई वार्ता करने से साफ इन्कार कर दिया हो सकता है उनको मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की शंका हो गई हो या वो दोनो काफी सतर्कता बरत रहें है, शायद वो अब मुझसे रिश्वत राशि के संबंध में कोई वार्ता नहीं करेगें। पुलिस निरीक्षक नें मामले हाजा में परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भावना नहीं होने एवं परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई रिश्वती राशि कुल 3,50,000 रूपये लौटाये जाने के संबंध में समस्त हालात श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जाकर उनसे प्राप्त निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस निरीक्षक द्वारा दो गवाह की तलबी की गई जाने पर समय 10.40 ए.एम. पर तलब शुदा स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक एवं श्री ललितसिंह गौड वरिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू विज्ञान कार्यालय में उपस्थित हुए जिनका परिचय पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा से आपस में करवाया गया एवं गवाहान को अग्रिम कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री मुनीर मोह0 हैडकानि को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर श्री मुनीर मोह0 हैडकानि. से कार्यालय मालखाना में दिनांक 20–4–2023 को दो अलग–अलग लिफाफों में ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि क्रमशः 2,00,000 रूपये एवं 1,50,000 रूपये मंगवाये जाकर उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा कनिष्ठ सहायक से गिनवाये

गये तो राशि कमशः 2,00,000 रूपये एवं 1,50,000 इस प्रकार कुल राशि 3,50,000 रूपये पाई गई जो राशि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी को रसीदन सिपूर्द की जाकर रसीद पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि मांग करने या किसी प्रकार से सम्पर्क करने पर तुरन्त अवगत कराने की हिदायत के रूखसत किया जाकर स्वतंत्र गवाहान को भी रूखसत किया।

इस प्रकार उपरोक्त हालात एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तायें दिनांक 17–4–2023 (आमने–सामने), 18–4–2023 (आमने–सामने), 18–4–2023 समय करीबन 7.05, 18–4–2023 समय करीबन 7.32 पीएम, 19–4–2023 समय करीबन 11.00 एएम व 11.10 एएम. से आरोपीगण श्री रवि माथूर क्षेत्रिय वन अधिकारी गोगुन्दा श्री नरपतसिंह क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम उदयपुर पूर्व अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) के द्वारा परिवादी श्री श्यामलाल को निलम्बन से बहाल कराने एवं पूर्व में वन नाका मजावद में किये गये विभिन्न योजनाओं के कार्यो के बिल भुगतान पेटे 20 परसेंट कमीशन के रूप में कुल 10,20,000 रूपये रिश्वती राशी की मांग करना जिसमें से आरोपी श्री रवि माथूर क्षेत्रिय वन अधिकारी गोगुन्दा द्वारा परिवादी से पूर्व में रिश्वत राशि 3,50,000 रूपये ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति करना एवं शेष 6,70,000 रूपये रिश्वत राशि की और मांग की। जिसमें से स्वयं के लिये कमीशन के 5,20,000 एवं आरोपी श्री नरपसिंह के लिये पूर्व का बकाया कमीशन 1,50,000 की मांग की। किन्तु आरोपीगणों को एसीबी कार्यवाही की शंका होने एवं परिवादी द्वारा स्वयं के विभाग में भी HoFF (मुख्य वन अधिकारी) को की गई शिकायत की जानकारी आरोपियों को होने अथवा विशेष सावधानी बरतने के कारण ग्रहण नहीं किये गये।

इस प्रकार आरोपीगण श्री रवि माथूर क्षेत्रिय वन अधिकारी गोगुन्दा एवं श्री नरपतसिंह क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम उदयपुर पूर्व अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) के द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर अपने अधीनस्थ श्री श्यामलाल शर्मा वनपाल को निलम्बन से बहाल करवाने एवं वन नाका मजावद में पूर्व में कराये गये वानिकी विकास कार्यो के बिल भुगतान पेटे 20 प्रतिशत कमीशन के रूप में कुल 10,20,000 रूपये रिश्वती राशी की मांग की जिसमें से आरोपी श्री रवि माथूर क्षेत्रिय वन अधिकारी गोगुन्दा के द्वारा परिवादी से पूर्व में रिश्वत राशि 3,50,000 रूपये ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति करना एवं शेष 6,70,000 रूपये रिश्वत राशि की और मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण श्री रवि माथूर क्षेत्रिय वन अधिकारी गोगुन्दा एवं श्री नरपतसिंह क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम उदयपुर पूर्व अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(विक्रम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट विक्रम सिंह राठौड़, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री रवि माथुर, क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वितीय, हाल रेंज गोगुन्दा वन मण्डल उदयपुर एवं 2. श्री नरपत सिंह, क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम, उदयपुर अति. चार्ज सहायक वन संरक्षक उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 170/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

03/7/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2176-79 दिनांक 03.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

03/7/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।